

FORM / प्रपत्र



सीएसआईआर - भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान

CSIR - INDIAN INSTITUTE OF CHEMICAL BIOLOGY

४, राजा एस सी मल्लिक रोड, कोलकाता - ७०००३२

4, Raja S.C. Mullick Road, Kolkata - 700032



अचल संपत्ति का विवरण को वर्ष /

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY FOR THE YEAR

2016 / २०१६

दिनांक / ASON

३१ दिसंबर / 31st December

अधिकारी का नाम /
Name of the Officer:

Dr. G. SENTHIL KUMAR

वर्धमान वेतन / Present Pay

25,350/-

कर्मचारी पहचान संख्या / Employee Id

605

वर्तमान पद / Present Post held

Scientist

जिला, सब डिवीजन, तालुक और गांव का नाम जहाँ संपत्ति है। Name of District, Sub Division, Taluk and Village in which the property is situated.	संपत्ति, आवासीय भूमि और अन्य भवनों आदि नाम व विवरण। Name and details of property, Housing lands & other buildings	वर्तमान मूल्य / Present Value	यदि संपत्ति अपने स्वयं के नाम नहीं है तो बताएं कि किसके नाम से है तथा उससे सरकारी कर्मचारी का संबंध क्या है? / If not in own name, state in which name held & his/her relationship to Govt. Servant.	संपत्ति कैसे अर्जित की गई? क्या खरीदी गई, पट्टे पर ली गई... बंधक, उत्तराधिकार, उपहार अथवा किसी अन्य स्रोत से ली गई / तारीख जिसको अधिकार में ली गई तथा उस व्यक्ति का नाम जिससे ली गई / How acquired? Whether by Purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name with details of persons from whom acquired.	संपत्ति से वार्षिक आय / Annual Income from the property.	अभ्यावृत्तियां / Remarks
1.		3.	4.	5.	6.	7.
			NIL			

सो खंड लागू नहीं है, उसे कटौत किया जाय। Unapplicable clause be struck out.

जहाँ मूल्य का सही अनुमान संभव नहीं है वह अनुमान किया है, शीर्षक में अनुमानित मूल्य कीजिए। In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate value is indicated.

•• अनुमानित मूल्य में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: •• अनुमानित मूल्य का संबंधित मूल्य कीजिए। In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate value is indicated.

टिप्पणी: घोषणा का प्रस्ताव जमा करने के दौरान भूमिगत सेवा-सिखरणी नियंत्रणशील (RBI) के नियम 13(1) के अंतर्गत सेवा के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक वर्ष अपने नाम पर अपना संपत्ति विवरण के प्रत्येक प्रतिलिपि को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रखना चाहिए।

व्याख्याक है और इसमें परिवर्तन होने पर उसे तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। The declaration form is required to be filled and submitted by every member of Class-I and Class-II service under Rule 13(1) of the Central Civil Services (Discipline) Rules, 1965 in the last appointment to the service and thereafter at the interval of every year. Being particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person.

संस्थाध्यक्ष/Signature
दिनांक/Date

02/01/2017